पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009 11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2009 ई0 (अग्रहायण 07, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–48

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	--	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	485–491	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	333–334	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	--	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...		975
भाग 4 निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	--	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एव अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

28 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 880/XX(1)/224/आई0पी0एस0/2004–भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग) 1996 बैच के अधिकारी श्री अभिनव कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चयन वेतनमान (पे–बैण्ड रु0 37400–67000 पर ग्रेड पे–रु0 8700) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2–श्री अभिनव कुमार, आईपीएस–1996 की चयन वेतनमान में प्रोन्नति मा0 केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण, इलाहाबाद बैंच में लम्बित ओ0ए0 सं0 576/2005 अभिनव कुमार बनाम भारत संघ व अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

28 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 881/XX(1)/346/आई0पी0एस0/2005–भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग) 1995 बैच के अधिकारी श्री दीपम सेठ (सम्प्रति उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुनरीक्षित पे–बैण्ड रु0 37400–67000 पर ग्रेड पे–रु0 8900 में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2–श्री दीपम सेठ, आईपीएस–1995 को दी गयी पदोन्नति उत्तराखण्ड में कार्यरत रहने की अवधि तक ही प्रभावी होगी। यदि इस कालान्तर में श्री दीपम सेठ को उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोन्नति प्रदान कर दी जाती है तो तद्नुसार प्रोन्नति अन्तिम मानी जायेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

विज्ञप्ति / नियुक्ति

30 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 1190/XXVIII–2–2009–92/2006–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत अपर निदेशक वेतनमान रु0 16400–450–20000 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अपर निदेशकों को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक के पद पर वेतनमान रु0 18400–500–22400, वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड/वेतनमान रु0 37400–67000, ग्रेड पे रु0 10000 में पदोन्नति प्रदान करते हुए 06 माह की विहित परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. डा0 हरीश चन्द्र भट्ट
2. डा0 सुधांशु बहुगुणा
3. डा0 सतेश्वर प्रसाद कंडवाल
4. डा0 आनन्द प्रकाश ममगाई

2–उपरोक्त प्रोन्नत निदेशकों की तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

30 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 1206/XXVIII–2 2009–92 / 2006–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक वेतनमान रु0 18400–500–22400, वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड / वेतनमान रु0 37400–67000, ग्रेड पे रु0 10000 पर कार्यरत निदेशकों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1.	डा0 सी0पी0 आर्या	कार्यवाहक महानिदेशक	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून
2.	डा0 एच0सी0 भट्ट	निदेशक (चिकि0स्वा0)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून
3.	डा0 सुधांशु बहुगुणा	निदेशक	दून / दून महिला / कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून
4.	डा0 सतेश्वर प्रसाद कंडवाल	निदेशक	सम्भागीय निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
5.	डा0 आनन्द प्रकाश ममगाई	निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून
6.	डा0 के0एल0 आर्या	निदेशक (बजट, नियोजन एवं भण्डार)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण / सामायोजन

06 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 725 / 2009 / 18(100) / XXVII(8) / 09–तात्कालिक प्रभाव से शासन की विज्ञप्ति सं0–439 / 2009 / 18(100) / XXVII(8) / 09, दिनांक 28–08–2009 के क्रम में श्री बी0बी0 मठपाल, ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा / प्रवर्तन), वाणिज्य कर, कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर को शासन के अग्रिम आदेशों तक ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2–इसके लिए श्री बी0बी0 मठपाल, ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा / प्रवर्तन), वाणिज्य कर, कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर को पृथक से कोई वेतन / भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

आवास विभाग

अधिसूचना

06 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 2395 / V–आ0–2009–26(न0वि0) / 01–अधिसूचना संख्या–201 / V–आ0–2009–26(न0वि0) / 01, दिनांक 2–2–2009 को अतिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा–15(क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद / अपील / निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु

श्रीमती निधि मणि त्रिपाठी, अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है, साथ ही उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा 41(3) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा–38(3) तथा अन्य विभिन्न विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु भी श्रीमती निधि मणि त्रिपाठी, अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को राज्य सरकार की ओर से निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती निधि मणि त्रिपाठी, अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार में आवास विभाग के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात् यथा आवश्यकता स्थगनादेश एवं अन्तिम आदेश पारित करेंगी।

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 911/XX(1)/146/सी0बी0आई0 जांच/2009–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, सन् 1946) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसरण में, उत्तराखण्ड के राज्यपाल, एतद्द्वारा श्री आनन्द प्रकाश, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के अपहरण के संबंध में थाना कोतवाली, जनपद उत्तरकाशी में पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या : 75/2009, धारा 364 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के अपराध से जुड़े हुए या उससे संबंधित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध (अपराधों) के अन्वेषण के लिए उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में शक्ति और अधिकारिता का प्रयोग करते के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु सहमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 911/XX(1)/146/CBI/2009,** Dehradun, dated November 10, 2009 for general information :

NOTIFICATION

November 10, 2009

No. 911/XX(1)/146/CBI/2009--In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of Uttarakhand is pleased to accord consent to extend the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for investigation of Crime No. 75/2009, registered at P.S. Kotwali, Uttarkashi, Distt. Uttarkashi, Uttarakhand under section 364 of the I.P.C. relating the kidnapping of Shri Anand Prakash, Assistant Engineer, P.W.D. or abetment and conspiracy in relation thereto or in connection with the aforesaid offence and any other offence/offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By Order,

SUBHASH KUMAR,
Principal Secretary, Home.

गृह अनुभाग–6

अधिसूचना

प्रोन्नति

16 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 1466(2)/बीस–6/01(02) 2008 एतद्द्वारा निम्नांकित अभियोजन अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (वेतनमान रु0 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन–रु0 6600) के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–श्री राजेन्द्र कुमार यादव

2–श्री सुन्दर सिंह गुसांई

3–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह

4–श्री सुधीर सिंह सिसौदिया

5–श्री दुली चन्द्र देवरानी

6–श्री राजेश्वर प्रसाद त्यागी

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3–उपरोक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों को नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

4–उक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के अधीन की जाती है कि यदि उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य में योगदान करते हैं तो पदोन्नति प्राप्त अधिकारी अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिये जायेंगे।

16 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 1250(2)/बीस–6/01(02) 2009–एतद्द्वारा निम्नांकित सहायक अभियोजन अधिकारियो को नियमित चयनोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अभियोजन अधिकारी (वेतनमान रु0 15600–39100–सादृश्य ग्रेड वेतन –रु0 5400) के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–श्री अम्बरीश कुमार

2–श्री हरि विनोद जोशी

3–श्री सोहन चन्द्र पाण्डेय

4–श्री राजेन्द्र सिंह नागरकोटी

5–श्री महेश चन्द्र भट्ट

6–श्री जगपाल सिंह बिष्ट

7–श्री शीतला प्रसाद सिंह

8–श्री पुष्कर सिंह टोलिया

9–श्री नारायण सिंह हयांकी

10–श्री सुधीर चन्द्र नैलवाल

11–श्री गिरीश चन्द्र पंचोली

12–श्री भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी

13–श्री खेम सिंह राणा

14–श्री हरीश चन्द्र जोशी

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अभियोजन अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उपरोक्त अभियोजन अधिकारियों को नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

4 -उपरोक्त अभियोजन अधिकारियों में से श्री हरीश चन्द्र जोशी की पदोन्नति, श्री हीरा सिंह हेतु सुरक्षित रखे गये पद के सापेक्ष नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत की जाती है। भविष्य में श्री हीरा सिंह की पदोन्नति के फलस्वरूप पद रिक्त न होने की स्थिति में श्री हरीश चन्द्र जोशी को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

5 उपरोक्त अभियोजन अधिकारियों की पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के अधीन की जाती है कि यदि उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य मे योगदान करते हैं तो पदोन्नति प्राप्त अभियोजन अधिकारी अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग—3

अधिसूचना

26 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 859/XVII—3/09—35(स0क0)/2002—उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम सख्या 09, वर्ष 2002) (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, श्री मजहर नईम, जवाहर नगर, हल्द्वानी, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—1

विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश

09 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 1301/X—1—2009—4(5)/2005—श्री महेश प्रसाद पैन्यूली, अपर सांख्यिकीय अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सांख्यिकीय अधिकारी, वेतनमान रु0 15,600—39,000, वेतन ग्रेड—रु0 5400, के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उक्त पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री महेश प्रसाद पैन्यूली की पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के अधीन की जा रही है कि यदि उनसे कोई वरिष्ठ कार्मिक उ0प्र0 से उत्तराखण्ड को आवंटित होते हैं तो वे अपनी ज्येष्ठता के अनुरूप पदोन्नति पाने के अधिकारी होंगे।

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

10 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 1394/दस—1—2009—भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से भारतीय वन सेवा के उप वन संरक्षक (चयन श्रेणी) वेतनमान रुपया 37400—67000/— तथा ग्रेड पे रु0 8700/ में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1—श्री एस0एम0 जोशी—1992

2—श्री भुवन चन्द्र—1992

3—श्री डी0एन0 सेमवाल—1992

2—उक्त अधिकारियों की उप वन संरक्षक (चयन श्रेणी) वेतनमान में प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 2145/2004 तथा 10541/2007 में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

अनूप वधावन,
सचिव।

वित्त अनुभाग—6

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

12 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 381/XXVII(6)/2009—उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत विशेष वेतनमान रु0 16400—450—20000 (पुनरीक्षित वेतनमान रु0 37400—67000, ग्रेड पे रु0 8900) में कार्यरत् श्री गिरिजा कुमार पन्त, अपर निदेशक, निदेशालय कोषागार को नियमित चयनोपरान्त अतिकाल वेतनमान रु0 18400—500—22400 (पुनरीक्षित वेतनमान रु0 37400—67000 ग्रेड पे रु0 10000) के वेतनमान मे पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नत कर, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह स्टेट इन्टरनल ऑडिटर उत्तराखण्ड के पद पर पदस्थ करने तथा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं के पद पर कार्यरत श्री आर0 पी0 पराबोला को निदेशक, लेखा एवं हकदारी के पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/549—भाग 1—2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009-11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2009 ई0 (अग्रहायण 07, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

नवम्बर 09, 2009 ई0

सं0 एफ–9(16)/आर.जी./यूईआरसी/2009/1116—उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 (मुख्य विनियम) के साथ पठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के उप विनियम 5.2.3 में–

खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित होगा, यथा

"परन्तु यदि जिस प्रयोजन हेतु अधिकृत रूप से विद्युत संयोजन लिया गया हो, उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु अनाधिकृत रूप से उपभोग किया जा रहा हो, ऐसा स्थापित होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी उस समस्त अवधि का जिस अवधि में विद्युत का अनाधिकृत उपभोग किया गया हो, आकलन बिल तैयार किए जाने के उद्देश्य से सही मीटर में रिकार्ड उपभोग की वास्तविक ऊर्जा का विवेचन करेगा एवं जहां यह अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती हो तो ऐसी दशा में इस प्रकार की अवधि निरीक्षण की तिथि के तत्काल पूर्व के 12 माहों की अवधि तक सीमित होगी। उपरोक्त ऊर्जा उपभोग, मापन प्रणाली सही होने की दशा में ही विचारणीय होगी अन्यथा ऊर्जा उपभोग की गणना मुख्य विनियम के परिशिष्ट X में दिए गए सूत्र के आधार पर होगी।"

आयोग के आदेश द्वारा,
पंकज प्रकाश,
सचिव।

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

November 09, 2009

No.--F9(16)/RG/UERC/2009/1116--In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (The Electricity Supply Code) Regulations, 2007 read with the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (The Electricity Supply Code) (First Amendment) Regulations, 2008 the (Principal Regulations), namely :

1. Short title and Commencement :

(1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (The Electricity Supply Code) (Second Amendment) Regulations, 2009.

(2) These Regulations extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Sub-Regulation 5.2.3 of the Principal Regulation--

After clause (4), the following shall be inserted, namely :--

"Provided that, where it is established that there is a case of Unauthorised Usage of electricity by way of usage of electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorised, the licensee shall for the purpose of preparing the assessment bill take into consideration the actual amount of consumption recorded by the correct meter for the entire period during which such unauthorised use of electricity has taken place, and where such period cannot be ascertained, such period shall be limited to a period of twelve months immediately preceding the date of inspection. The above energy consumption shall be considered only in case if metering system is healthy, else the energy consumption shall be calculated on the basis of the formula given in Annexure X of the Principal Regulation."

By the Order of the Commission,

PANKAJ PRAKASH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/549--भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।